(479)

III/निगरानी/भिण्ड/भू. रा/2017/3634

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: २०१७ निगरानी

श्री स्वयं - कुं० ... आज दि. 3-10-17 को प्रस्तुत

१- पंचम सिंह | पुत्रगण- रतीले निवासी गण ग्राम
२- भारतसिंह | डोंडनपुरा, तहसील- मैहगांव, जिला भिन्ड- मध्यप्रदेश ।

3-10-17

---- प्रार्थीगण

विरुध्द

मैहताव सिंह पुत्र रामदयाल, निवासी ग्राम कनाथर, तहसील- मैहगांव हाल निवासी ग्राम रिछौरा, तहसील- माण्डेर, जिला दतिया [redacted]-मध्यप्रदेश ।

CF-12-10-17

3190196

---- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय, मैहगांव जिला भिन्ड दिनांक ८-०६-१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० ७/१५-१६ अपील माल ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एसण्डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही रूप से समझा नहीं है ।

३- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील की अनुमति एंवम् धारा ४८ भू-राजस्व संहिता के आधीन विवादित आदेश की प्रति-प्रमाणित प्रस्तुत किये जाने से मुक्ति हेतु आवेदन-पत्र का प्रार्थीगण द्वारा विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर मे अपील की प्रचलनशीलता की आपत्ति की गई है । एस०डी०ओ०

क्रमशः---२

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3634

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	